न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी — आशीष गुप्ता, आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 10 / प्रा.पत्र / 2019 (GCMS No. 2019 / 00010)	01.01.2019	02.11.2020

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

मृतक गोपाल आ. ग्यारसीलाल जाति बैरवा जर्ये कायम मुकाम महावीर,पप्पू,छोटूलाल पि. गोपाल, गीता पुत्री गोपाल, गोबरीबाई बेवा गोपाल कौम बैरवा, निवासी ग्राम ऐबरा, तहसील एवं जिला बून्दी

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू अधिनियम
(कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम,1970)

उपस्थित—
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र गोपाल आ. ग्यारसीलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम ऐबरा को किये गये भूमि आवंटन खसरा सं. 104 (नये नम्बर 1155 / 104) रकबा 8 बीघा वाकेग्राम ऐबरा आवंटन आदेश दिनांक 04.11.1977 को निरस्त किये जाने हेतु नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयाजनार्थ आवंटन नियम,1970) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। तहसील से आवंटन प्रोसिडिंग रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर, दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने के कारण दिनांक 07.10.2020 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

जिला कलेक्टर

बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी ।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी को दिनांक 04.11.1977 को आवंटन की गई थी, आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन अधिनियम,1970 के नियम 14(3) के अनुसार आवंटी को आवंटन के प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत तथा शेष द्वितीय वर्ष में काश्त किया जाना आवश्यक है। आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किया जाना प्रमाणित है। ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की जावें।

न्यायालय ने पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं बहस पर गहनता से मनन किया। आवंटी गोपाल आ. ग्यारसीलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम ऐबरा को आवंटन प्रोसिडिंग रजिस्टर की क्रम संख्या 100 पर दिनांक 04.11.1977 को ग्राम ऐबरा की आराजी खसरा सं. 104 रकबा 8 बीघा भूमि का आवंटन किया जाना प्रकट है। मौका पर्चा रिपोर्ट पटवारी, हल्का ऐबरा एवं तहसीलदार बून्दी के प्रपत्र की क्रम सं. 4(4)(1) के अनुसार आवंटित भूमि पर आवंटी व उसके वारिसान का कब्जा काश्त नहीं है। आवंटी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन शर्तो की पालना नहीं किया जाना प्रमाणित है। आवंटी द्वारा आवंटन में रूचि नहीं लेने से कृषि प्रयोजनार्थ किया गया उक्त आवंटन निरर्थक हो जाता है, इस प्रकार भूमि आंवटन का उद्देश्य पूर्ण नहीं होने से उक्त आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। उक्त आराजी पर अन्य किसी व्यक्ति का कब्जा है तो वह मात्र अतिक्रमी की हैसियत से है जिसे मौके पर बेदखल किया जावे।

परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा आवंटी गोपाल आ. ग्यारसीलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम ऐबरा को दिनांक 04.11.1977 को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 104 (नये नम्बर 1155/104) रकबा 8 बीघा वाके ग्राम ऐबरा निरस्त किया जाता है। तहसीलदार बून्दी उक्त आराजी को अविलम्ब नियमानुसार कब्जे सरकार लेकर **सिवायचक** दर्ज रेकार्ड करने की कार्यवाही करे।

न्यायालय जिला कलक्टर * बून्दी (राज.) * सत्यमेव जयते

आदेश आज दिनांक 02.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी